२० रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(8)

न्यायालय – माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक :- /2017–18 निगरानी

निगरानी - 4225/2018/अशोकनगर/भू.रा.

भोलाराम पुत्र स्व0 श्री बालचंद्र जाति चमार आयु 72 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी बड़ापुरा कलारी के पास वार्ड नं0 2 मुगावली जिला अशोक नगर

..........निगरानीकर्ता / रेस्पोडेण्ट

बनाम

1. भगवानदास पुत्र खिलान जाति नाई
2. लाखन सिंह पुत्र खिलान जाति नाई निवासी ग्राम किरौला हाल निवासी यादव कॉलोनी मल्हारगढ़ रोड मुगावली तहसील मुगावली जिला अशोक नगर

..........................प्रतिप्रार्थीगण / रेस्पोर्डेण्ट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता विरूद्व आदेश दिनांक 13/6/2018 प्रकरण कमांक रा0प्र0क0 8/2016–17 अपील पारित अनुविभागीय अधिकारी मुगाबली जिला अशोक नगर बउनमान भगवानदास आदि बनाम भोलाराम।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-</u>

1– यहकि, प्रतिप्रार्थीगण / अपीलाण्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अभिवचन किया कि ग्राम किरौला परगना मुगावली में स्थित भूमि सर्वे कमांक 2/14 रकवा 1.045 है0 भूमि उनके पिता खिलान को शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान की थी माननीय कलेक्टर की अनुमति के बगैर उनके पिता से फर्जी व धोखे से पट्टे की भूमि का बिकय पत्र दिनांक 01/02/90 को रेस्पोडेण्ट ने करा लिया है। जिसके आधार पर राजस्व कागजात में दिनांक 20/10/90 से नामांतरण पंजी कमांक 13 पर राजस्व निरिक्षक व पटवारी से सांठ गांठ कर नाम इंद्राज करा

भोलाराम

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4225/2018/अशोकनगर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला अशोकनगर</u>**	